

बिहार सरकार  
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ललित राही,  
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

अपर समाहर्ता-सह-  
संचालन पदाधिकारी, खगड़िया।

पटना, दिनांक 01/4/2026

विषय:- दिनांक-06.04.2026 को विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचालन पदाधिकारियों की बैठक के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-411 दिनांक-26.02.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-26.02.2026 को मुख्य जाँच आयुक्त का निदेशालय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा पंचायती राज विभाग अंतर्गत संचालित विभागीय कार्यवाही के मामलों का मासिक अनुश्रवण टिप्पणी के कंडिका-3 (iv) में दिये गये निदेश के आलोक में विभाग स्तर पर संचालित विभागीय कार्यवाहियों की स्थिति से विभाग को अवगत कराया गया है।


विभागीय कार्यवाही की प्रगति के समीक्षा के निमित्त विभागीय नोडल पदाधिकारी-सह-अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-06.04.2026 को अपराह्न 03:00 बजे V.C के माध्यम से सभी संचालन पदाधिकारियों की बैठक आहूत की गयी है।

विदित हो कि विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-644-सह-पठित ज्ञापांक-10885 दिनांक-28.08.2025 के द्वारा श्री सुमित कुमार, तत्कालीन प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर सदर, मुंगेर के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत आपको संचालन पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित करते हुए विभागीय कार्यवाही का संचालन कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अतएव निदेशानुसार प्रासंगिक पत्र एवं निदेशालय द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त निर्धारित बैठक (VC) में वांछित सूचना (विहित प्रपत्र में) के साथ ससमय भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

अनूलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(ललित राही)  
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:-1प/स्था०-07-37/2025/5224/पं०रा० पटना, दिनांक-01/4/2026  
प्रतिलिपि:-जिला पंचायत राज पदाधिकारी-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक-01/4/2026

(ललित राही)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:-1प/स्था०-07-37/2025/5224/पं०रा० पटना, दिनांक-01/4/2026  
प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव, मुख्य जाँच आयुक्त का निदेशालय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार,  
पटना को उनके ज्ञापांक-411 दिनांक-26.02.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

(ललित राही)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:-1प/स्था०-07-37/2025/5224/पं०रा० पटना, दिनांक-01/4/2026  
प्रतिलिपि:-श्री नजर हुसैन, अपर सचिव-सह-विभागीय नोडल पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग,  
बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित

(ललित राही)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:-1प/स्था०-07-37/2025/5224/पं०रा० पटना, दिनांक-01/4/2026  
प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

(ललित राही)

विशेष कार्य पदाधिकारी

**जॉच (विभागीय कार्यवाही) के संचालित मामलों में जॉच पदाधिकारी के द्वारा नोडल पदाधिकारी को समर्पित किया जाने वाला मासिक प्रतिवेदन**

(माह के प्रथम सप्ताह में प्रतिवेदित किया जाय)

प्रतिवेदित माह : .....

जॉच पदाधिकारी का नाम : ....., पदनाम : .....

जॉच के कुल संचालित मामलों की संख्या : ..... प्रतिवेदित माह में निष्पादित/समर्पित जॉच प्रतिवेदन की संख्या : .....

क्र. सं.	आरोपित पदाधिकारी का नाम/पदनाम/विभाग	वि.का. संख्या/वर्ष संकल्प ज्ञापाक/तिथि	प्रस्तुतीकरण का नाम/पदनाम	ट्रेप/ननट्रेप	क्या मामला नियम-18(1) के तहत पुनः आगे जॉच/पुनर्जॉच का है?	क्या मामला न्यायालय वाद से आच्छादित है, यदि हाँ तो निर्धारित समय-सीमा एवं समाधि की तिथि	जॉच पदाधिकारी को प्राप्त होने की तिथि	प्रथम सुनवाई की तिथि	प्रतिवेदित माह में सुनवाई की तिथियाँ (तिथिवार अंकित हो)	प्रतिवेदित माह तक सुनवाई की कुल तिथियाँ (संख्या)	सुनवाई की तिथियों को संबंधित पक्षों (IO, CO, PO, DR) की अनुपस्थिति (तिथिवार) (संलग्न प्रपत्र-2 में अंकित किया जाये) (नीचे नोट भी देखें)।	मामलों में गवाहों की कुल संख्या/परीक्षित एवं प्रतिपरीक्षित गवाहों की संख्या	क्या दस्तावेजों का आदान-प्रदान हो चुका है?	विभागीय कार्यवाही का स्तर (चार पृष्ठ पर अंकित संकेतावली के अनुसार 01-10 तक कोड अंकित किया जाय।)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

हस्ताक्षर

जॉच पदाधिकारी का नाम :

पदनाम :

तिथि :

(नोट :- IO-संचालन पदाधिकारी, CO-आरोपित पदाधिकारी PO-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, DR-विभागीय प्रतिनिधि)

संकेतावली (प्रपत्र की कड़िका--15 हेतु)  
**विभागीय कार्यवाही संचालन के मानक स्तर**  
 (केवल विभागीय कार्यवाही के अनुश्रवण प्रयोजनार्थ)

1	आरोपित पदाधिकारी द्वारा याचित दस्तावेज उसे उपलब्ध करा दिये गये हैं।
2	आरोपित पदाधिकारी का बचाव अभिकथन प्राप्त है। उनके पक्ष में साक्षियों की सूची समर्पित कर दी गई है।
3	आरोपों की सुनवाई आरंभ।
4	प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत गवाहों का परीक्षण / प्रतिपरीक्षण एवं पुनर्परीक्षण कर लिया गया है।
5	आरोपित पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत गवाहों का परीक्षण / प्रतिपरीक्षण (प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के द्वारा) एवं पुनर्परीक्षण (आरोपित पदाधिकारी द्वारा) कर लिया गया है।
6	आरोपी के गवाह यदि हैं तो उनका परीक्षण / प्रतिपरीक्षण प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी / संचालन पदाधिकारी द्वारा कर लिया गया है।
7	आरोपित पदाधिकारी के द्वारा (ऐच्छिक) स्वपरीक्षण समर्पित कर दिया गया है।
8	आरोपित पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी से अपना पक्ष लिखित अथवा मौखिक रूप से प्राप्त कर लिया गया है।
9	संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही को जाँच प्रतिवेदन लेखापित करने हेतु आरक्षित कर लिया गया।
10	जाँच प्रतिवेदन प्रशासी विभाग अनुशासनिक प्राधिकार को समर्पित कर दिया गया है।